रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052026-272861
CG-DL-E-25052026-272861

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2534]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948
No. 2534]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

का.आ. 2626(अ).— जबकि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 उन अवधियों का प्रावधान करती है जिनके लिए खनन पट्टे दिए या नवीनीकृत किए जा सकेंगे;

और जबकि धारा 8 की उप-धारा (5) में प्रावधान है कि कोई पट्टेदार जहां कोयले या लिग्नाइट का उपयोग कैप्टिव प्रयोजन के लिए किया जाता है, ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और ऐसी अतिरिक्त रकम के भुगतान पर जो छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए, खान से जुड़े अन्तय उपयोग संयंत्र की अपेक्षा को पूरा करने के पश्चात किसी वर्ष में उत्पादित कुल कोयले या लिग्नाइट के पचास प्रतिशत तक ऐसे कोयले या लिग्नाइट का विक्रय कर सकेगा;

और जबकि धारा 8 की उप-धारा (5) के परंतुक में प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, कोयले या लिग्नाइट के उक्त प्रतिशत में वृद्धि कर सकेगी जो किसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा बेचा जा सकेगा;

और जबकि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, अधिसूचना संख्या का.आ. 4589 (अ), दिनांक 2 नवंबर, 2021, द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इसमें दी गई सारणी के अनुसार कोयले के प्रतिशत में वृद्धि की थी, जिसे एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा इन खानों से जुड़े उनके अंत्य उपयोग संयंत्रों की अपेक्षा को पूरा करने के पश्चात; 31 मार्च 2026 तक तालाबीरा II और III ओपीसी से उत्पादित कोयले के 75% तक बेचा जा सकेगा,

और जबकि एनएलसी तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना, ओडिशा, जो तालाबीरा II और III कोयला खान से जुड़ी हुई है, के चालू होने में देरी हुई है और इसे फरवरी 2030 से फरवरी, 2031 के बीच चालू किया जा सकेगा;

और तालाबीरा II और III कोयला खान से जुड़ा एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड का वर्तमान में प्रचालित विद्युत संयंत्र तकनीकी सीमाओं के कारण तालाबीरा II और III कोयला खान से केवल लगभग 3 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयले का उपयोग करता है;

और जबकि, एनएलसी तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना ने, दिनांक 23 जनवरी, 2026 के इसके पत्र द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (5) के अधीन विहित प्रतिशत सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है क्योंकि यह एनएलसी तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना के चालू होने तक खान प्रचालन और राष्ट्रीय खनिज संसाधनों के उत्पादक उपयोग को बनाए रखने के लिए आवश्यक है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8 की उप-धारा (5) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 4589(अ), दिनांक 2 नवंबर, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा प्रकाशित कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

2. उक्त अधिसूचना में, -

(i) तीसरे पैरा में, “31 मार्च, 2026 तक” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “वर्ष 2024-2025 में 31 मार्च, 2025 तक और 85 प्रतिशत 31 मार्च, 2026 तक” शब्द, अंक और अक्षर रखें जाएंगे;

(ii) सारणी में, वर्ष "2025-26" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने, निम्नलिखित वर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

वर्ष	अनुमानित कोयला उत्पादन	ईयूपी अपेक्षा	बिक्री के लिए स्वीकृत कोयले की शेष मात्रा
“2025-26	20	3.0	17 (85%)”.

[फा. सं. सीबीए2-13011/9/2018- सीबीए 2]

सनोज कुमार झा, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 4589 (अ), दिनांक 2 नवंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

S.O. 2626(E).— Whereas section 8 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) provides the periods for which mining leases may be granted or renewed;

And whereas sub-section (5) of section 8 provides that any lessee may, where coal or lignite is used for captive purpose, sell such coal or lignite up to fifty per cent. of the total coal or lignite produced in a year after meeting the requirement of the end use plant linked with the mine in such manner as may be prescribed by the Central Government and on payment of such additional amount as specified in the Sixth Schedule;

And whereas proviso to sub-section (5) of section 8 provides that the Central Government may, by notification in the Official Gazette and for the reasons to be recorded in writing, increase the said percentage of coal or lignite that may be sold by a Government company or corporation;

And whereas *vide* notification number S.O 4589(E), dated the 2nd November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), the Central Government had increased the percentage of coal, as tabulated therein, that may be sold by NLC India Limited, up to 75% of coal produced from Talabira II and III OCP up to 31st March 2026, after meeting the requirement of their end use plants linked with these mines;

And whereas the commissioning of NLC Talabira Thermal Power Project, Odisha, which is linked to Talabira II and III coal mine, has been delayed and may be commissioned between February 2030 to February, 2031;

And whereas the presently operational power plant of NLC Tamil Nadu Power Limited, linked with Talabira II and III coal mine, utilises only about 3 million tonnes per annum coal from Talabira II and III coal mine due to technical limitations;

And whereas, NLC Talabira Thermal Power Project, *vide* its letter dated the 23rd January, 2026 has requested for enhancement of the percentage ceiling prescribed under sub-section (5) of section 8 of the said Act as the same is essential to sustain mine operations and productive utilisation of national mineral resources pending commissioning of NLC Talabira Thermal Power Project;

NOW, THEREFORE in exercise of powers conferred by the proviso to sub-section (5) of section 8 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4589(E), dated the 2nd November, 2021 (hereinafter referred to as the said notification), namely:—

2. In the said notification, -

(i) in the third paragraph, for the words, figures and letters "up to 31st March, 2026", the words, figures and letters "up to 31st March, 2025 till the year 2024 -2025 and 85 per cent. up to 31st March, 2026," shall be substituted;

(ii) in the table, against the year "2025-26" and the entries relating thereto, the following year and entries shall be substituted, namely: -

Year	Estimated coal production	EUP requirement	Balance quantity of coal approved for sale
"2025-26	20	3.0	17 (85%)".

[F. No. CBA2-13011/9/2018-CBA2]

SANOJ KUMAR JHA, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4589(E), dated the 2nd November, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.25 22:26:03 +05'30'